अपील सूचना अधिकार संख्या 54/2017 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपखंडीयक, श्रीगंगानगर

11–10–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 2303.17/18.04.17 के द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपपंजीयक, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के पत्रांक 6904 दिनांक 06.03.2017 से सम्बन्धित सूचनाएः–

1. आपके पत्रांक 231 दिनांक 28.02.2017 के अनुसार सहायक निदेशक(अभियोजन) ने यह राय दी है कि निर्वाचक अधिकारी(एसडीएम) श्रीगंगानगर के पत्रांक 1638 दिनांक 26.08.2015 से बीएलओ अपने पैतृक विभाग का कार्य करते रहेगे व प्रशासनिक विभाग के नियत्रंण मे रहेंगें। इसी आधार पर प्रार्थी के एफ.आर पर न्यायालय जाधपुर ने Cognizance नही लिया।

   श्रीमान इस तथ्य में यह सहायक निदेशक (अभियोजन) ने कही भी नही लिखा कि सुभाष गोयल बीएलओ ने लोक सभा चुनाव 2014 में श्रीगंगानगर में उपस्थित रहकर चुनाव डयूटी का कार्य नही किया इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. किसी भी घटना का एक ही बार मुकदमा दर्ज हो सकता है।

   माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 2925–26 दिनांक 02.09.2016 से सक्षम न्यायालय में सुभाष गोयल बीएलओ के विरूद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व 1951 की धारा 136 व आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत परिवाद दायर करने की अनुमति स्वीकृती जारी की गयी थी। इस विषय वस्तु पर अभी तक मुकदमा दर्ज नही किया गया है। इस विषय वस्तु पर अभी तक मुकदमा दर्ज नही किया गया है और ना ही सहायक निदेशक (अभिजोयन) महोदय ने इस विषय वस्तु पर राय ही दी है व राय में इन तथ्यों का अंकन भी नही किया है इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व 1951 की धारा 136 व आई.पी.सी. की धारा 188 के अन्तर्गत बीएलओ सुभाष गोयल के विरूद्ध इस्तगासा दायर न करने की राय दी है इस बाबत सूचना व इस राय की प्रमाणित प्रति।
4. प्रार्थी के उस दस्तावेज की सूचना जिसमें सुभाष गोयल को दिनांक 06.04.2014 को जोधपुर होने का निस्तारण करना लिखा हो।
5. सुभाष गोयल बीएलओ के अपने लिखित कथन दिनांक 17.06.2014 में यह लिखा कि वह दिनांक 06.04.2014 को प्रबन्धक श्री एस.डी. बुनकर से, जोधपुर, श्रीगगानगर मुख्यालय छोडने का अवकाश स्वीकृत करवा कर गया था इस कारण सूचना व मुख्यालय छोडने व 17.06.2014 में मुख्यालय छोडने के कथन की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. जब स्वयं बीएलओ सुभाष गोयल स्वीकार कर रहे है कि उसने 06.04.2014 को सकल्पं पत्र एकत्रित कर सेक्टर मजिस्ट्रेट को सौपे तो किस परिस्थिति में व अधिकार क अधीन श्री एस.डी. बुनकर बैंक प्रबन्धक 06.04.2014 को मुख्यालय छोडने की अनुमति प्रदान कर सकते है इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. श्री एस.डी.बुनकर को मुख्यालय छोडने हेतु स्वीकृती प्रदान करने की अधिकारिता प्रदान की इस सम्बन्ध में विभागीय आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

8. दिनांक 06.04.2014 को श्रीगंगानगर लोकसभा चुनाव डयूटी कार्य बी.एल.ओ सुभाष गोयल ने किया एव 06.04.2014 को ही जोधपुर सिविल याचिका 2755/14 में माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज करवा रहा है जबकि वह आपके ही सुपरवीजन में लोकसभा चुनाव 2014 मे चुनाव डयूटी के कार्य का निस्पादन कर रहा था, उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि जिसके तहत व 06.04.2014 को दो स्थानो पर उपस्थिति दर्ज करवा सकता है।

9. जब 06.04.2014 को बीएलओ सुभाष गोयल जोधपुर माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थिति दर्ज करवा रहा है व 06.04.2014 को ही चुनाव डयूटी पर कार्यरत है जिसकी ताईद स्वयं बीएलओ, एसडीएम साहब व उपपंजियक महोदय कर रहे है ऐसी स्थिती में जोधपुर उपस्थिती, चुनाव आयोग को, निर्वाचन विभाग के अधिकारियो को धोखा देने की स्थिती में आने व प्रमाणित होने के उपरांत भी 3 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर भी जिस नियम के अन्तर्गत निर्वाचन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नही की गयी है उस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

10. बीएलओ सुभाष गोयल द्वारा दिनांक 06.04.2014 को सकंल्प पत्र एकत्रित कर सेक्टर मजिस्ट्रेट को सौपे इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

11. दिनांक 05.04.2014 से 11.04.2014 तक सुभाष गोयल द्वारा प्राप्त वोटर मतदाता पर्चिया सेक्टर मजिस्ट्रेट के निर्देशन में घर–घर जाकर वितरित की गयी। इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

12. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर ने भी अपने पत्रांक 26 दिनांक 17.06.2014 व 41 दिनांक 05.08.2014 से बीएलओ सुभाष गोयल द्वारा श्रीगंगानगर रहकर दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 11.04.2014 तक चुनाव डयूटी लोकसभा के कार्यो का निस्पादन किया है इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

13. एसडीएम साहब श्रीगंगानगर ने भी अपने पत्रांक 1261 दिनांक 04.08.2014 से सुभाष गोयल द्वारा दिनांक 05.04.2014 से 11.04.2014 तक लोकसभा चुनाव डयूटी में श्रीगंगानगर उपस्थित रहकर कार्य किया है इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।

14. सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीमति सजूं पारीक द्वारा अपने पत्रांक 228 दिनांक 04.03.2016 से यह स्वीकार किया है कि मुख्यालय छोडने से पूर्व निर्वाचन अधिकारी की अनुमति जरूरी है इस जानकारी व स्वीकारोक्ति के उपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.2000 की पालना में सुभाष गोयल को अनुशासनहीनता के आधार पर निलम्बित न किये जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि जबकि वह 06.04.2014 को जोधपुर भी उपस्थित है।

15. तत्कालीन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 06.04.2014 को (उपपंजियक) आपके कार्यालय के अधीन कार्य चुनाव करते हुए दिनांक 06.04.2014 को जोधपुर उच्च न्यायलय में उपस्थिति दर्ज दिखा रहा है इस प्रकार चुनाव कार्य में गंभीर अनुशासनहीनता के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.2000 की पालना में सुभाष गोयल बीएलओ को निलम्बित जिस नियम के अन्तर्गत नही किया गया उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

16. माननीय निवार्चन विभाग जयपुर के पत्रांक 1362 दिनांक 31.03.2016 की पालना में दिनांक 06.04.2017 तक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व 1951 की धारा 136 व आई.पी.सी. की धारा 166 व167 व 188 व 188 के अन्तर्गत इस्तगासा जिस अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत नही किया गया है उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजीयक) श्रीगंगानगर के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 18.04.2017 के द्वारा चाही गई सूचना उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत 25000रूपये हर्जाना कायम किया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर उपंजियक श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 706 दिनांक 20.06.17 प्रस्तुत किया है कि उनके कार्यालय के पत्रांक 621 दिनांक 11.05.2017 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना भिजवाई जा चुकी हैं व पत्रांक 634 दिनांक 17.05.17 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर चाही गई सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा गया है।

चूंकि उप पंजियक श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 621 दिनांक 11.05.17 से अपीलार्थी को 4 बिन्दूओ की सूचना उपलब्ध करवाई है व पुनः पत्र सं0 634 दिनांक 17.05.17 के द्वारा कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन करने के लिए लिखा गया है। अपीलार्थी को चाहिए था कि वह उपपंजीयक श्रीगंगानगर के कार्यालय में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर चाही गई सूचना के लिए आवेदन करता।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए कोई निश्चित व स्पष्ट नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। जबकि उपपंजियक श्रीगंगानगर द्वारा पत्र दिनांक 1705.17 से अपीलार्थी को कार्यालय में उपस्थित होकर पत्रावली का निरीक्षण करने के लिए लिखा गया है। अपीलार्थी को उपपंजीयक श्रीगंगानगर के कार्यालय में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन करना चाहिए था। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए उपपंजियक, श्रीगंगानगर को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवा दिया जावे और उपलब्ध अभिलेख में से अपीलार्थी जो सूचना प्राप्त करना चाहे वह उसे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर